संख्या– 320/XXVIII-5-2017-176/2009

प्रेषक,

अतर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उत्तराखड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–5 देहरादून : दिनांक 27 अप्रैल , 2017

**विषय–बेस चिकित्सालय पिथौरागढ़ के निर्माण कार्यों हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–7प/1/3/2009/5352, दिनांक 21.03.2017के क्रम में बेस चिकित्सालय लिन्थ्यूड़ा पिथौरागढ़ के निर्माण हेतु अनुमोदित लागत **रु0 6304.00 लाख के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि रु0 300.00 लाख के अतिरिक्त अवशेष देयता 6004.00 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2017–18 में लेखानुदान के अन्तर्गत प्राविधानित रु0 133.33 लाख (रूपये एक करोड़ तैतीस लाख तैतीस हजार मात्र)** की धनराशि को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त कर आपके निर्वतन पर रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेता (कार्य की आवश्यकता अनुसार) से कार्यस्थल का भली–भाँति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरुप ही कार्य किया जाय।
2. अनुमोदित योजना/निर्माण कार्य के अन्तर्गत नियत किये गये लक्ष्यों व उद्देश्यों के कियान्वयन की प्रगति की समय–समय पर समीक्षा की जाय तथा निर्माण कार्यों की लागत एवं समय में वृद्धि किसी भी दशा में न होने पाय, यह सुनिश्चित किया जाय।
3. महानिदेशक द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि योजना की निर्धारित अवधि वित्तीय/ भौतिक लक्ष्यों एवं लक्षित आउटपुट व आउटकम के अनुसार ही प्रगति हो रही है और उसमें कोई विचलन नहीं हो रहा है। योजना की नियमित व आवधिक समीक्षा समय–समय पर कर ली जाय।
4. यदि विभिन्न मदों में स्वीकृत धनराशि अवशेष रहती है, तो उक्त धनराशि द्वितीय चरण के आगणन में समायोजित की जायेगी।
5. मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–2047/XIV–21(2006), दिनांक 30.05.2006, द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य करते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
6. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
7. उक्त कार्य के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008, दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्यक हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
8. यदि किसी अन्य समरुप कार्य हेतु पूर्व में कराई गयी डिजाईन/मानक पूर्णरुप से अथवा आंशिक रुप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है या वर्तमान कार्य में एक भाग की डिजाईन/मानक पूर्ण रुप से अथवा आंशिक रुप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तद्नुसार कार्यवाही की जाय।
9. उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय आय–व्ययक वर्ष 2016–2017 की अनुदान संख्या–12 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, मतदेय, 01–शहरी स्वास्थ्य

सेवाएं, 110–अस्पताल तथा औषधालय, 23–बेस चिकित्सालय पिथौरागढ़ का निर्माण, 24– वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या–312/3(150)/XXVII(1)/17, दिनांक 31.3.2017, में दिये गये निर्देशों के कम में निर्गत किया जा रहा है।

**संलग्नकः अलॉटमेंट आई0डी0 संख्या– S1704120444**

भवदीय

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।

**प0सं0–321(1)/XXVIII-5-2017-176/2009, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबरॉय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मण्डलायुक्त, कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़।
6. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/पिथौरागढ़
7. परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम, लि0 देहरादून/पिथौरागढ़।
8. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/अनुभाग–5/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
10. मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड, सचिवालय, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव